न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 04/2023 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये जगदीश प्रसाद शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक भीलवाडा	बनाम 1. दयाराम पुत्र भागीरथ गुर्जर निवासी बासेटा थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ
–प्रार्थी	–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.09.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 21.03.2023 को डी.एस.टी. पुलिस भीलवाडा की सूचना पर एन.एच. 27 पर स्थित प्रेमदीप होटल के पास अमरतिया की सीमा में बने एक बाडे में दयाराम पुत्र भागीरथ गुर्जर निवासी बासेटा थाना पारसोली जिला चित्तौडगढ द्वारा अनाधिकृत विक्रय की मंशा से 1100 लीटर डीजल 06 लोहे के ड्रमों में अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। पुलिस टीम द्वारा श्री जोगेन्द्र सिंह ए.एस.आई. मय जाब्ता को उक्त 1100 लीटर डीजल मय 06 लोहे के ड्रम एवं आरोपी को संभलाया गया। आरोपी ने स्वयं के साधनों के उपयोग हेतु डीजल खरीदना बताया किन्तु आरोपी द्वारा इस संबंध में कोई तथ्य पेश नही किया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा डीजल को वाहनों को बेचा जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किय जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं। उक्त डीजल की सैंपलिंग नमूना लेने के बाद 1097 लीटर पुलिस थाना माण्डलगढ को सुपुर्द किया गया। चूंकि आरोपी द्वारा डीजल का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं, अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 1100 लीटर मय 06 लोहे के ड्रमों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 29.03.2023 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया।

विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती हैं। प्रकरण में विभागीय पेरोकार की एक तरफा बहस सुनी गयी।

दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि आरोपी द्वारा डीजल का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं, अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 1100 लीटर मय 06 लोहे के ड्रमों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तवेजात एवं विपक्षी द्वारा स्वयं पर्चा मौका (फर्द जब्ती) पर हस्ताक्षर किये एवं डीजल का अवैध विक्रय किये जाने का जुर्म स्वीकार किया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा डीजल का अवैध रूप से भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय ओर वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया हैं।

उक्तानुसार विपक्षी आरोपी द्वारा अपराध किया जाना सिद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 1100 लीटर मय 06 लोहे के ड्रमों को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किये गये जब्तशुदा 1100 लीटर मय 06 लोहे के ड्रमों को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे। जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त जब्तशुदा 1100 लीटर मय 06 लोहे के ड्रमों का अन्तिम निस्तारण कर जरिये निलामी (बाजार दर से कम नही होना चाहिये) राशि राजकोष में जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा